29/3/16 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०।
बहस प्रार्थना पत्र बाजदावरी सी.आई. प्रार्थना पत्र
पर सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर
लिए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज
दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
(फास्ट ट्रेक) आमेर/मु., जयपुर